कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वार्षिकांक

वर्षः 61 अंकः 1 मुंबई दिसम्बर 2016

आयोग ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वार्षिकांक

वर्षः 61 अंकः 1 मुंबई दिसम्बर 2016

सम्पादक मंडल

अध्यक्ष
उषा सुरेश

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

अवर उप सम्पादक
अमृता सोम मुखर्जी

अवर हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार
संजय एस. सोमदे

कलाकार
चंद्रशेखर पुनवटकर,
दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित

टेलिफैक्सः 022-26719465

ई-मेलः jagritikvic@gmail.com वेबसाईट www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

इस अंक में...

समाचार सार 3 से 18

छोटे उद्यमी:हमारी प्राथमिकता होने चाहिए.....

भारत को 'स्टार्टअप हब' बनाने में सूक्ष्म, लघु.....

वाराणसी में आयोग के अध्यक्ष द्वारा खादी संस्थाओं....

बच्चों के लिए पहला फैशन शो खादी बेबी बेरी शो.....

आयोग, सजायाफ्ता व दण्डित व्यक्तियों को अर्थपूर्ण....

आयोग का भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड के.....

नागपुर में आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्शनी में.....

नराकास द्वारा आयोग के कर्मचारियों के बच्चों को.....

स्कूलों और अन्य संस्थानों में खादी को प्रोत्साहन.....

खादी इकाईयों का आधुनिकीकरण.....

आयोग की 639वीं बैठक का कार्यवृत्त.....

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां.....19

छोटे उद्यमी:हमारी प्राथमिकता होने चाहिए

- केंद्रीय कपड़ा एवं टेक्सटाइल मंत्री

केंद्रीय कपड़ा एवं टेक्सटाइल मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, गुजरात के गाँधी नगर में 19 नवम्बर 2016 को आयोजित नेशनल कन्वेंशन ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज में अपने संबोधन में कहा कि छोटे उद्यमी हमारे प्राथमिकता होने चाहिए और उन्होंने इस पर भी जोर डाला कि हमे

खादी और ग्रामोद्योगों एंव हैंडलूम उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए|

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि खादी एक प्राकृतिक वस्त्र है तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक विशेष संगठन है | इस कार्यक्रम का उदघाटन माननीय मुख्य मंत्री, गुजरात श्री विजय रुपानी द्वारा 17 नवम्बर, 2016 को किया गया | विभिन्न कंपनीयों के लगभग 1000 कंपनी सचिवों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया |

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि खादी स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करता है | बढ़ी कंपनियों तथा ब्रांडों को अभी तक खादी उत्पादों के सम्बन्ध में मूलरूप से जानकारी नहीं है | अध्यक्ष महोदय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मुंगा और मसलिन सिल्क जैसे बहतरीन वस्त्रों का उत्पादन मशीन के माध्यम से नहीं किया जा सकता है | खादी वस्त्र प्राकृतिक रेशे से निर्मित है जो कि हाथ से कता और बुना वस्त्र है इसके अतिरिक्त खादी को शून्य कार्बन फूटप्रिंट के लिए भी जाना जाता है | स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान चरखे को स्वतंत्रता के शस्त्र के रूप में भी जाना जाता था किन्तु वर्तमान परिदृश्य में यह आर्थिक स्वतंत्रता का साधन बन गया है, अब इसकी जरुरत राष्ट्रीय अर्थव्यस्था को सुदृढ़ करने की है |

इसके पूर्व नेशनल कन्वेंशन ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज की अध्यक्षा श्रीमती ममता बिनानी ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया| कार्यक्रम के दौरान खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया |

आयोग ने 36वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया

भारत को 'स्टार्टअप हब' बनाने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है

– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, श्री कलराज मिश्र ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवम्बर 2016 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के एक्सपो का उद्घाटन करते समय अपने संबोधन में कहा कि भारत को 'स्टार्टअप हब' बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका है|

उन्होंने आगे कहा गुणवत्तायुक्त उत्पादों के उत्पादन तथा देश के सम्पूर्ण विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमो का विशेष योगदान है|

इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की उत्पादन क्षेत्र में बहुत बड़ी भागीदारी है तथा यह वृहद् संख्या में लोगो को रोजगार के अवसर प्रदान करता हैं |" श्री मिश्र ने आगे कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एक्सपो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों को एक मंच पर लाने का बेहतर अवसर है | इस वर्ष सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम एक्सपो में हर्बल उत्पाद, खाद्य सम्बंधित उत्पाद, कॉस्मेटिक, हेंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटो कॉम्पोनेन्ट, तैयार वस्त्र, आभूषण, इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गयी|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस बार ३६ वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया, इसमें सूक्ष्म ,लघु और मध्य उद्यम के राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह; सांसद लोक सभा, श्रीमती मीनाक्षी लेखी; खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री वी. के. सक्सेना;

सचिव, सूक्ष्म,लघु और मध्य उद्यम, श्री के.के. जालान आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना ने इस अवसर पर कहा कि सम्पूर्ण देश से 200 संस्थाए इस मेले में भाग ले रही हैं | जम्मू और कश्मीर की वर्तमान स्थित को देखते हुए जम्मू और कश्मीर के संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई | जम्मू और कश्मीर के कुल 38 संस्थाओ ने इस पैविलियन में भाग लिया जो की सभी राज्यों से अधिक थे | इस पैविलियन में कारीगरों, हस्त शिल्पकारों और खादी संस्थाओं ने अपने उत्कृष्ट उत्पाद प्रस्तुत किये |

इस पैविलियन में कताई और बुनाई की जीवंत प्रदर्शनी लगाई गयी थी, इससे प्रदर्शनी में आने वाले ग्राहकों को खादी कैसे बनाई जाती इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई | अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि रू.500/- और रू.1000/- के विमुद्रीकरण होने से खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पैविलियन में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से प्रत्येक काउंटर के सामने 200 क्रडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्वाइप मशीन की व्यस्था की गई है जिससे खादी प्रमियों को खरीदारी में किसी भी प्रकार का न हो |

इस वर्ष, प्रधान मंत्री के द्रष्टिकोण को पूर्ण करने के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आई.आई.टी.एफ.) में 'डिजिटल इण्डिया' थीम को प्रगाढ़ रूप में प्रदर्शित किया गया| यह थीम देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस के द्वारा गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को उजागर करने के लिए विशेष महत्व रखता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पहले से ही डीबीटी के माध्यम से संस्था और खादी कारीगरों को भुगतान करना प्रारंभ कर दिया है।

★★★

श्रीलंका, नेपाल, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान के महिला संसदीय मण्डल एवं कनाडा दूतावास के पदाधिकारियों ने श्रीमती मिनाक्षी लेखी, सांसद, लोकसभा के साथ आयोग के दिल्ली स्थित खादी इंडिया शोरूम का दौरा किया, जहाँ आयोग के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना ने प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत किया.

वाराणसी में आयोग के अध्यक्ष द्वारा खादी संस्थाओं तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाईयों के साथ विचार-विमर्श

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने 9 दिसंबर, 2016 को तैलिआबाग, वाराणसी में खादी संस्थाओं और प्रधान मंत्री रोजगार कार्यक्रम इकाईयों के जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की | उन्होंने अपने संबोधन में सूचित किया कि सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय ग्रामीण उद्योगों को सुद्रढ बनाने और रुग्ण संस्थाओं को पुनः संचालित करने के लिए निधियां प्रदान कर रहा है | खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे पलायन पर अंकुश लगेगा | उन्होंने पूर्व क्षेत्र में सोलर चरखा के संवितरण के बारे में जानकारी दी एंव राजस्थान में सोलर चरखा के उपयोग के लिए किये जा रहे प्रयोग के बारे में भी बताया |

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 20 नए खादी इंडिया बिक्री केंद्र खोलने की योजना बना रहा है जिसमें ग्राहकों के लिए उचित कीमत में डिजाईनर वस्त्र उपलब्ध करवाए जायेंगे |

पूर्व में, उप निदेशक/प्रभारी श्री ए.पी. जायसवाल ने पूर्व क्षेत्र में स्थित खादी संस्थाओं तथा प्रधान मंत्री रोजगार कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध संक्षिप्त जानकारी प्रदान की | इस बैठक में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्व क्षेत्र) श्री एस. एन. शुक्ला, श्री राजेश त्रिवेदी, श्री एम. आर. प्रजापति और खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे |

खादी बेबी बेरी शो

बच्चों के लिए पहला फैशन शो

बच्चों के मध्य खादी के महत्व को उजागर करने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ब्लेस्ड हार्ट फाउंडेशन के सहयोग से होटल हयात रीजेंसी, दिल्ली में एक खादी फैशन शो का आयोजन किया।

ब्लेस्ड हार्ट फाउंडेशन ऋतुबेरी द्वारा चलाया जाने वाला एक चैरिटेबल संगठन है. इस संगठन की शुरुआत वंचित बच्चों को सहयोग करने तथा भारत में औटिज्म के प्रति जागरूकता का सृजन करने और साथ ही साथ भारत के बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए की गयी थी|

पांचवें बेबी बेरी शो के आयोजन में 'खादी इंडिया' ने प्रायोजक तथा हयात्त रीजेंसी, दिल्ली ने हॉस्पिटैलिटी पार्टनर के रूप में सहयोग किया|

इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री, डॉ. हर्ष वर्धन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे एंव आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना तथा सांसद लोकसभा, श्रीमती मिनाक्षी लेखी सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित थी| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने खादी का विकास करने के लिए विभिन्न योजनायें और कार्यक्रम कार्यान्वित किये हैं | रितु बेरी ने खादी का उपयोग करते हुए बच्चों के लिए विशिष्ट डिजाइनो के वस्त्रों का सृजन किया है | उन्होंने अपने विभिन्न संग्रहो में खादी की बहुमुखी प्रतिभा के दर्शाया गया है और बच्चों के लिए मनमोहक विशेष वस्त्र तैयार किये है|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज खादी के महत्त्व तथा इसकी विरासत के मूल्यों को बच्चों के बीच दर्शाने की आवश्यकता है ताकि वे खादी के वस्त्रों को उपयोग में लाकर उसके महत्त्व को समझ सकेंगे तथा इससे ग्रामीण कारीगरों को ही मदद नहीं होगी बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी सहायता होगी|

'बेबी बेरी शो' में बच्चों के लिए बहुत ही चुबुले थीम रखे गए थे जैसे: लाइवली गोवा – इसमें खादी के मनोरम पेस्टल रंग में बहुत ही सुन्दर और आरामदायक वस्त्र संकलित किये गए है, लव – जिसमे आकर्षक, रोमानी, चटकीले और अतिरंजित वस्त्र सम्मलित थे. यह चमकीले लाल रंग के तथा सफेद और नीले रंगों के वस्त्र प्रमुख थे. द रूट्स – इस थीम में पंजाब की संस्कृति से प्रेरित फुलकारी कढ़ाई किये विभिन्न वस्त्रों का संग्रह था| अंगवस्त्र - इस थीम में खादी सिल्क के पारंपरिक विरासत को दर्शाने वाले बहुत ही विशिष्ट किस्मों के वस्त्रों का संग्रह था| इसमें सुन्दर कढ़ाई तथा एपलिक का काम किये हुए घागरा, सलवार इत्यादी वस्त्र सम्मिलत थे जो हमारी पारंपरिक धनी संस्कृति को दर्शाते है| इस अवसर पर बच्चों के लिए विभिन्न रंगों के विचार वस्त्रों का भी संग्रह प्रस्तुत किया गया|

बेबी बेरी शो में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री, डॉ. हर्ष वर्धन मुख्य अतिथि के रूप में एंव आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना तथा सांसद लोकसभा, श्रीमती मिनाक्षी लेखी सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित थे.

यह फैशन शो विभिन्न शैलियों, स्टाइलो, आरामदायी पहनने में आसान वस्त्रों का वृहद् संग्रह था| इसमें सफेद, पेस्टल, मैटलिक और काले रंगो के वस्त्र प्रधान थे जो एक अलग रंगीन दुनिया का सृजन करते है|

बेबी बेरी शो बच्चों का एक वार्षिक फैशन शो है जिसमें कई नामचीन व्यक्ति भाग लेते है जैसे बोलीवूड के सुपरस्टार, अक्षय कुमार, संजय दत्त, कुनाल कपूर तथा अभिषेक बच्चन आदि इस शो में मुख्य अतिथि रह चुके है|

कताई कार्य-ध्यान केन्द्रित और आत्म अनुशासन पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है

आयोग, सजायाफ्ता व दण्डित व्यक्तियों को अर्थपूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करेगा

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 3 दिसंबर 2016 को जिला जेल गुरुग्राम में खादी कताई और बुनाई प्रशिक्षण प्रारंभ कर एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज श्री मदन बी. लोकुर ने जिला जेल गुरुग्राम में इस प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना और डी. जी. (जेल) हरियाणा, श्री वी.के. सिंघल भी उपस्थित थे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'कताई कार्य योग करने के सामान है | कताई ध्यान केन्द्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। कताई लोगों में आत्म अनुशासन की भावना को प्रबल करता है तथा इससे ध्यान केंद्रित करने मदद मिलती है और गलत आदतों की तरफ विचलन भी कम होता है। चरखा कताई से अशांत और क्षुब्ध मन भी शांत हो सकता है। जब यह कैदी जेल से बाहर निकलेंगे तब वे प्रशिक्षित कत्तिन और बुनकर होंगे और पूरी गरिमा के साथ जीवन प्रारंभ करने में सक्षम होंगे |

पूर्व में, 28 अक्टूबर 2016 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कानून के विभिन्न अधिनियमो के

तहत दोषी करार व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए ५० नए मॉडल चरखे और दो करघे प्रदान किये | खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 70 कैदियों को कताई और बुनाई में प्रशिक्षण भी प्रदान किया है | प्रारंभिक अनिच्छा के बाद उन्होंने प्रशिक्षण से विशेष रूचि दिखाई क्योकि इस कार्य के द्वारा वह अर्जन भी कर सकते थे|

न्यायाधीश श्री लोकर ने अपने संबोधन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष का जिला जेल में दोषी व्यक्तियों को अर्थपूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयासों के लिए सराहना की| उन्होंने कहा कि इससे उन्हें केवल कताई – बुनाई करने में ही मदद नहीं होगी बल्कि बेहतर जिंदगी जीने में प्रति दिन एक अच्छी राशी का अर्जन करने में भी सहायता होगी|

न्यायाधीश ने अपने संबोधन कहा कि जेल के कैदी शारीरिक श्रम करके प्रति दिन रू. 25/- का अर्जन करते हैं, तथापि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के इस पहल से कैदी शुरुआत में अपने कार्य के आधार पर प्रति दिन रू.150/- से रू.250/- तक का अर्जन करेंगे | कैदियों द्वारा अर्जित की गई राशि को उनके जेल के खाते में जमा किया जायेगा और जेल में उनका श्रमकाल समाप्त होने पर उन्हें दिया जायेगा|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग और जेल प्राधिकारियों के मध्य समझौते के आधार पर कैदियों द्वारा उत्पादित वस्त्र से कैदियों की वर्दी तैयार की जाएगी दूसरे शब्दों में कैदी उनके द्वारा उत्पादित वस्त्र को उपयोग में लायेंगे|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 25 अक्टूबर, 2016 को दिल्ली के सेवा कुटीर में स्थित 'आधारशिला बाल निरिक्षण गृह' किंग्सवे कैंप में खादी कताई और बुनाई प्रशिक्षण प्रारंभ किया है. यह बाल निरिक्षण गृह, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) द्वारा किशोर न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए बालकों के लिए चलाया जाता है. इस खादी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी माननीय न्यायधीश श्री मदन बी. लोकुर द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में किया गया|

आयोग का भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड के साथ समझौता

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड (पी.जी.सी.एल.) के साथ समझौता किया है । इस समझौते के तहत यह निश्चित हुआ है कि पी.एस.यू. के कर्मचारियों को रु.4,200/- तक कीमत की खादी उत्पादों की खरीदारी करने पर उन्हें 20 प्रतिशत छूट के साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी अथवा मानक छूट के समक्ष 20 प्रतिशत के स्थान पर 28 प्रतिशत छूट प्रभावी होगी ।

यदि पी.जी.सी.एल. के कर्मचारी रु.4,200/- तक की खरीदारी करते हैं तो कर्मचारियों को रु. 3000/- वापस मिलेंगे जो कि खरीदारी के पश्चात् वास्तविक छूट की राशि होगी अर्थात इतनी राशि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को भुगतान की जाएगी | यह समझौता खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं पी.जी.सी.एल. दोनों के लिए ही फायदे का सौदा है|

इससे खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 4.32 करोड रु. के अपने उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम होगा | पी.जी.सी.एल में 1,02 83 कर्मचारी हैं| यहां पर कार्यरत्त प्रत्येक कर्मचारी निःशुल्क 4,200 रू. तक के कीमत के खादी उत्पाद की खरीदारी कर सकता है|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में सात करोड़ रू. की बिक्री की है| आयोग ने विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 27 प्रतिशत अर्थात 5.51 करोड़ रु.की बिक्री दर्ज की है|

इसकी घोषणा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसे देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि विमुद्रीकरण से खादी बिक्री प्रभावित नहीं हुई है| उन्होंने यह भी बताया कि कन्नोट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित खादी बिक्री केंद्र में 9 नवम्बर 2016 से, विमुद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात् अधिक बिक्री दर्ज की गई है|

नागपुर में आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्शनी में आयोग ने भाग लिया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 10 से 12 अक्टूबर 2016 तक डॉ पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, दीक्षा भूमि, नागपुर में आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्शनी में भाग लिया|

आयोग ने इस प्रदर्शनी में खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों तथा मधुमक्खी पालन सम्बंधित गतिविधियों को दर्शाने वाले स्टाल स्थापित किये थे | इस प्रदर्शनी में बेरोजगार युवाओं को स्वयं की पी.एम.ई.जी.पी. एवं मधुमक्खी पालन इकाई खोलने सम्बंधित जानकारी तथा परामर्श सेवा भी दी जा रही थी. महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग द्वारा यह प्रदर्शनी हर वर्ष विजयादशमी के अवसर पर आयोजित की जाती है जिसे देखने हजारों लोग आते है|

इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सामजिक न्यायाधीश, विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र सरकार, श्री राजकुमार बाडोले ने किया तथा इस अवसर पर स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और आयोग के कर्मचारी उपस्थित थे|

नराकास द्वारा आयोग के कर्मचारियों के बच्चों को "छात्र गौरव" सम्मान

आयोग के खादी निदेशालय में कार्यरत कार्यकारी श्री के.सी.पंत ने अपने विगत 24 वर्ष के कार्यकाल में हिन्दी में ही अपना सारा कार्यालयीन कार्य किया, कभी भी अंग्रेजी का सहारा नहीं लिया | उनके इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें राजभाषा सम्मान मिला | दिनांक 19.12.2016 को सम्पन्न मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती ऊषा सुरेश ने श्री के.सी.पंत को शील्ड और प्रमाणपत्र प्रदान किया |

मुंबई, 29 नवंबर, 2016 : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उत्तर मुंबई (कार्यालय), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आयोग के कर्मचारियों के बच्चों को "छात्र गौरव" सम्मान आज केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, फिशरीज़ यूनिवर्सिटी, वर्सोवा, मुंबई में कुलपति के हाथों विगत दिनांक 29 नवंबर को आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। यह आयोजन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार किया गया, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2014-15 और 2015-16 की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं में हिन्दी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले चयनित छात्रों को "छात्र गौरव" सम्मान दिया गया जिसमें छात्रों को सम्मान स्वरूप शील्ड और प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर फिशरीज़ यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय डॉ. गोपाल कृष्ण और नराकास मुंबई के सदस्य सचिव, डॉ. राजेश्वर उनियाल व अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ उपस्थित थे।

"छात्र गौरव" सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों में शामिल थे, कु. हर्षदा संतोष घाघ, कु. ममता विनोद हवनूर, कु. समृद्धि सुधीर साटम, कु. जूही आशुतोष गर्ग, श्री श्रवणकुमार एस.एन.पाण्डे, कु. अमृता अनिल पवार, कु. दिव्या अनिला दिनेश, कु. जेसिका जॉन गोम्स, श्री गौरव सुनील भांबोरे, कु. तेजल स्वाति सुहास बांदिवड़ेकर और श्री ध्रुवकुमार बृजकिशोर गूजर। आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा राजभाषा अधिकारी श्री एस.के. सिन्हा जी ने सभी कर्मचारियों व उनके बच्चों को इस उपलब्धि के लिए तथा केवीआईसी का मान बढ़ाने के लिए काफी सराहना की और उनको अपना आशीर्वाद दिया।

स्कूलों और अन्य संस्थानों में खादी को प्रोत्साहन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है।

1. केवीआईसी खादी डेनिम और खादी टी–शर्ट बनाने सहित देश के युवाओं को लुभाने के लिए डिजाइनिंग और उत्पादों की मार्केटिंग कर रहा है।

2. केवीआईसी ने देश के विभिन्न इलाकों में नई दुकानें खोलने के लिए फ्रेंचाइजी प्रणाली शुरू की है।

3. 185 खादी संस्थानों की दुकानों का आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बिक्री बढ़ी है।

4. केवीआईसी और खादी संस्थान डिजिटल मार्केटिंग के जरिए खादी और खादी के उत्पादों के लिए उचित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के वास्ते प्रतिष्ठित खुदरा विक्रेताओं के साथ कार्य कर रहे हैं।

5. केवीआईसी विशिष्ट डिजाइन और स्टाइल द्वारा खादी उत्पाद युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनरों के साथ कार्य कर रहा है।

6. केवीआईसी ने खादी उपहार कूपन और खादी गिफ्ट हैम्पर देने शुरू किए हैं।

7. केवीआईसी ने एयरपोर्ट पर नये शोरूम खोले हैं और अच्छे व्यापार की संभावनाओं वाले स्थानों तथा पर्यटन स्थलों पर विशेष खादी प्लाजा खोलने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

8. ई–वाणिज्य पोर्टल ऑनलाइन के जरिए खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बारे में पेटीएम द्वारा पहले तीन महीने के लिए केवीआई उत्पादों के लिए निशुल्क ऑनलाइन सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

9. केवीआईसी ने थोक खरीद को बढ़ावा देने के लिए 18.07.2016 को विभिन्न स्लेब में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गोवा, पटना, एर्नाकुलम और भोपाल के विभागीय बिक्री दुकानों (डीएसओ) में 'थोक खुदरा संबद्ध उपहार वाउचर योजना' शुरू की है। संबंधित डीएसओ से की गई खादी और ग्रामोद्योग की खरीदी पर उपहार वाउचर को भुनाया जा रहा है।

10. खादी उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी को 'डीम्ड निर्यात संवर्धन परिषद' का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत उसने 900 से अधिक निर्यातकों को पहले से ही पंजीकृत कर लिया है।

11. खादी उत्पादों के सीधे निर्यात का फ्रेट ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य का 5 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन राशि

केवीआईसी के साथ पंजीकृत केवीआई संस्थानों और इकाईयों को दिया जाता है। केवीआईसी खादी उत्पादों के लिए नये और उभरते बाजारों की संभावनाएं तलाशने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और विदेशों में होने वाले क्रेता–विक्रेता बैठकों में अपनी प्रतिभागिता पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

12. केवीआईसी ने बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित विभिन्न उत्पादों के 45 वर्गों में से 27 वर्गों में 'खादी' को वर्ड मार्क और 'खादी इंडिया' को ट्रेड मार्क के रूप में पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा केवीआईसी ने यूरोपीय यूनियन और अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के अंतर्गत 16 विभिन्न वर्ग में 'खादी' को ट्रेड मार्क के रूप में पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।

13. केवीआईसी सरकारी विभागों और रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, अर्द्धसैन्य बल और अन्य केंद्रीय तथा राज्य सरकार के मंत्रालयों जैसे थोक खरीदारों की जरूरतों को पूरा करता है। खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए केवीआईसी ने आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) की दर अनुबंध (आरसी) प्रणाली में भी पंजीकरण करवाया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव और केवीआईसी के अध्यक्ष द्वारा खादी और खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रम की इकाईयों (सीपीएसयू) को पत्र भेजे गए हैं। केवीआईसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के सभी कर्मचारियों से सप्ताह में एक दिन स्वैच्छा से खादी पहनने की अपील की है। केवीआईसी ने सभी राज्य सरकारों के प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा विभागों से स्कूल की यूनिफॉर्म खादी में बनाने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों से प्रस्ताव का आकलन कर इस पर कार्यवाही करने को कहा है।

खादी इकाईयों का आधुनिकीकरण

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) खादी सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के माध्यम से, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा खादी इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय योजनाओं को लागू किया जाता है:

१. कमजोर खादी संस्थानों को अपने संसाधन बढ़ाने के लिए तथा उनको फिर से सुचारू रूप से कार्यान्वित करने हेतु, केवीआईसी आउटलेट का पुनरूत्थान करने, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को मजबूत करने एवं बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ाने हेतु सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

2. पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए कोष (स्फूर्ति) की योजना के माध्यम से खादी समूहों को और अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु एवं उनके सतत विकास के लिए सहयोग दिया गया है।

3. केवीआईसी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत शोध कार्य का संचालन करने के लिए अग्रणी तकनीकी संस्थानों के साथ इंटरफेस के गठन का फैसला किया है।

२०१४ के बाद से खादी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हुई है

वर्ष	खादी की बिक्री (करोड़ रूपया में)	प्रतिशत बढ़ोतरी
2013-14	1081.04	-
2014-15	1170.38	8.26%
2015-16	1510.00	29.02%
2016-17*	1810.00	19.87%

*लक्ष्य

खादी की बिक्री आलेख द्वारा :-

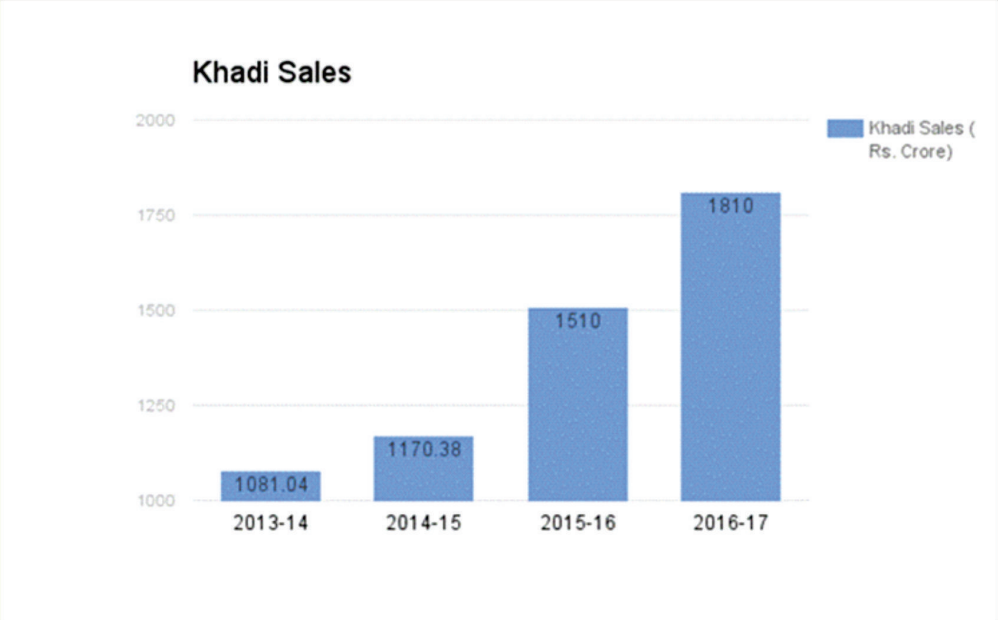

यह प्रेस विज्ञप्ति सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम राज्यमंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा 16.11.2016 को राज्यसभा में एक प्रश्न के दिए गये लिखित जवाब पर आधारित है।

आयोग की 639वीं बैठक का कार्यवृत्त

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की दिनांक २३ नवम्बर २०१६ को मुंबई में सम्पन्न बैठक की अध्यक्षता श्री विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की गई । उपरोक्त बैठक में आयोग के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: श्री जय प्रकाश तोमर, आंचलिक सदस्य (मध्य अंचल), श्री जी. चन्द्रमौलि, आंचलिक सदस्य (दक्षिण अंचल), डॉ संगीता कुमारी, आंचलिक सदस्य (पूर्व अंचल), श्री नारायण सी. बोरकाटकी, आंचलिक सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल), श्री अशोक भगत, विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान एवं विकास), श्रीमती ऊषा सुरेश, वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री मोहित जैन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं आयोग के सभी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

1) आयोग ने शुरुआत में केन्द्रीय पूनी संयंत्रों को अग्रिम एमडीए प्रदान करने के अगस्त से अक्टूबर, 2016 की अवधि के लिए पूर्व में दिए गए अनुमोदन पर विचार विमर्श किया, जिसे अब अतिरिक्त तीन माह की अवधि के लिए विस्तार करने अर्थात् नवंबर 2016 से जनवरी, 2017 तक प्रदान करने हेतु अनुमोदन दिया गया है, ताकि खादी संस्थाओं व सौर चरखा प्रचालकों को पूनी/रोविंग केन्द्रीय पूनी संयंत्र, हाजीपुर से घटी दरों पर प्राप्त हो सके।

2) आयोग ने जैव प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 7.7.2010 के 'परिशिष्ठ' पर विचार किया और इसे अनुमोदित किया, जिसमें ग्रामीण उर्जा तकनीशियनों (आरईटी) द्वारा 'पूर्णता प्रमाणपत्र तथा 'दौरा प्रपत्र' पर सरपंच/तलाठी के हस्ताक्षर प्राप्त करने की शर्त को रद्द करने की बात कही गई है, जिससे कि बायो गैस संयंत्र संस्थापित किए जाने के पांच वर्षों के उपरान्त आरईटी को रु.800/- प्रति बायो गैस संयंत्र के हिसाब से जमा की गयी जमानत राशि (जिसे पूर्व में उनके पर्यवेक्षण प्रभारों से कटौती की गई थी), बगैर किसी कठिनाई के जारी की जा सके।

पांच वर्षों की बायो गैस संयंत्र की वारंटी अवधि के दौरान, आरईटी द्वारा प्रत्येक संयंत्र का वर्ष में दो बार दौरा किया जाएगा और वह अपने 'दौरा प्रपत्र' में लाभार्थी के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और साथ ही साथ लाभार्थी के साथ अपने फोटोग्राफ संबंधित वेबसाइट में डालेगा।

राज्य/मंडलीय कार्यालय, आरईटी द्वारा जमा की गई जमानत राशि को जारी करने के पूर्व संस्थापित 10 प्रतिशत बायो गैस संयंत्रों की यादृच्छिक जांच करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरईटी द्वारा बायो गैस सयन्त्रों की स्थापना वास्तव में की गयी है और संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

3) आयोग ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नियमित स्थापना के कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन एवं भत्तों का लाभ प्रदान करने तथा तदोपरान्त भारत सरकार द्वारा इससे संबन्धित समय समय पर जारी आदेशों/दिशानिर्देशों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए लागू करने के संबंध में प्रशासन निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

4) विशेष श्रेणी के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के लिए बजटीय सहायता से प्रशिक्षण खर्चों की पूर्ति हेतु परिपत्र संख्या सीबी/एसडीपी दिशानिर्देश/2016-17/ दिनांक 21.10.2016 में जोड़े गए बिन्दुओं का अनुसमर्थन करने तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सफल उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के प्रारुप को अनुमोदित करने के लिए क्षमता निर्माण निदेशालय का प्रस्ताव पर आयोग ने निम्नलिखित निर्णय लिया:

- निशुल्क' के आधार पर कोई भी प्रशिक्षण कार्य संचालित नहीं किया जाना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के प्रशिक्षुओं के लिए

- शुल्क में 50 प्रतिशत छूट होगी
- अनु. जाति./अनु. ज. जाति/अ. पि. व. प्रशिक्षुओं को शुल्क में छूट सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय अनु. जाति. / अनु. ज. जाति निगम तथा समविचार वाले संगठनों से वित्तीय सहायता की संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए, जिससे कि कमजोर वर्ग के आवेदकों हेतु शुल्क को कम किया जा सके।
- खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र के अधीन प्रशिक्षण केन्द्रों, जिसमें खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र के अधीन आने वाले गैर विभागीय प्रशिक्षण केंद्रो में प्रशिक्षण सुविधाओं की समीक्षा/पुनःस्फूर्त करने के लिए एक समिति का गठन करना, एक मानक प्रशिक्षण माड्यूल के साथ जो 'राष्ट्रीय कौशल विकास निगम' (एनएसडीसी) और राष्ट्रीय मानक योग्यता के अनुरूप होगा, जिससे कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए भारत सरकार के 'प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सहायता' के अधीन वित्तीय सहायता मिल सके।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम में नवाचार लाने हेतु प्रमुख व्यापार क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भारत के नीति आयोग से परामर्श लेना।
- इन प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध प्रशिक्षण अधोसंरचना को पुनःमजबूत करना, (1) केन्द्रीय कुम्हारी प्रशिक्षण संस्थान, खानापुर, कर्नाटक (2) फाइबर डिजाइन सेंटर, तिरुवनंतपुरम, केरल (3) पामगुड़ अनुसंधान केन्द्र, तमिलनाडु और (4) एमडीटीसी, केवीआईसी, नड़थरा, त्रिसूर, केरल।
- उपरोक्त उद्देश्य हेतु पर्याप्त श्रमशक्ति प्रदान करना, जिसे उप कार्यालयों/ मंडलीय कार्यालयों/ राज्य कार्यालयों में उपलब्ध कर्मचारियों को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्थानांतरित करते हुए किया जाएगा, जहां इसकी अच्छी संभावना/मांग/व्याप्ति है।

आयोग ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के प्रारुप को भी अनुमोदित किया और यह भी निर्देशित किया कि नए खादी लोगो 'वाटर मार्क' को प्रमाणपत्र पर मुद्रित किया जाए।

5) आयोग ने लेखा परीक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और दो निष्क्रिय व्यापारिक इकाइयों के एक साथ विलय तथा तीन निष्क्रिय व्यापार खातों को बंद करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया.

6) प्रशासन निदेशालय के प्रस्ताव -1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में निदेशकों के छह पदों को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरना, जिसे आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार विस्तारित किया जा सकता है, और 2) एक वर्ष से अधिक की अवधि से रिक्त निदेशकों के 8 पदों को भरना, आयोग ने प्रशासन निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और अनुमोदन दिया जिसमें केवीआईसी में निदेशकों के छह पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतन-बैंड 3 (रु.15600-39100) तथा ग्रेड-वेतन रु.7600/- में तीन वर्ष की अवधि हेतु भरना, जिसे आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार विस्तारित किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैः

(1) निदेशक (विपणन) - 1 पद

(2) निदेशक (मीडिया) - 1 पद

(3) निदेशक (विधिक) - 1 पद

(4) निदेशक (वस्त्र/खादी)- 2 पद (एक मुख्यालय हेतु और एक पूर्वोत्तर अंचल हेतु)

(5) निदेशक (प्रशासन) - 1 पद

7) आयोग ने प्रशासन निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की जिसमें 'सीधी भर्ती' के अधीन विभिन्न संवर्गों के 344 पदों को मैसर्स एडसिल (इंडिया) लि. नोएडा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक इकाई, के माध्यम से नामांकन

आधार पर भरा जाना है, इस संबंध में आयोग ने निर्देश दिया कि मैसर्स एडसिल (इंडिया) लि. नोएडा की शर्तों, नियमों, पेनाल्टी अनुच्छेदों और विश्वसनीयता की पुन: जांच की जाए और इससे संबंधित एक व्यापक प्रस्ताव आयोग की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाए।

8) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव श्री नृपेन्द्र मिश्र की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गयी बैठक में श्री वी.के.सक्सेना, अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री के.के.जालान, सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, श्री तरुण बजाज, संयुक्त सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग और श्री अजीत कुमार, उप सचिव मौजूद थे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आयोग को बैठक में की गयी अनुशंसाओं से अवगत कराया, जो निम्नानुसार है:

I.उत्पादन प्रोत्साहन को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाए कि उसका उत्पादन के साथ लिंक हो।

ii. खादी उत्पादन केन्द्रों को 'पर्यटन' के साथ जोड़ने की संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए।

iii.नई खादी संस्थाओं की स्थापना के लिए स्वामित्व हित को शामिल करते हुए 'खादी फोकस' की अवधारणा की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। खादी फोकस के लिए आवश्यक अतिरिक्त लागत के लिय वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जा सकती है।

iv.यह वांछित है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को आत्मनिर्भर बनाने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

v.सौर चरखा योजना के लिए नई एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है जिससे कि इसे उपयुक्त योजना के अधीन सुविधा प्रदान की जा सके।

vi.खादी उत्पादन को मनरेगा के अधीन एक गतिविधि के तौर पर शामिल करने के मामले को ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ अंतिम निर्णय के लिए चर्चा की जानी चाहिए।

vii.यह सुझाव दिया गया है कि बागबानी विभाग के साथ चर्चा के उपरान्त मधुमक्खी, पामगुड़ पर अलग अलग मिशन को प्रारंभ किया जा सकता है, जिससे कि इस पर कार्यान्वयन हेतु स्पष्ट कार्यनीति बनाई जा सके।

viii.उत्पादन से जुड़े पारिश्रमिक के साथ बुनकरों के पारिश्रमिक को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रयास से बुनकरों/कारीगरों को बेहतर परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा और उनके कार्यप्रदर्शन की पारदर्शी तरीके से मॉनिटरिंग की जा सकेगी और इलेक्ट्रोनिक भुगतान कार्ड सिस्टम के माध्यम से कार्यप्रदर्शन का मूल्यांकन भी किया जा सकेगा।

9) आयोग ने कत्तीनों की मजदूरी को उत्पादन से जोड़ते हुए खादी गतिविधियों को नयी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की सिफ़ारिशों की भी प्रशंसा की । इस पहल से कत्तीनों/कारीगरों को और अधिक उत्पादन करने में सहायता मिलेगी और इलेक्ट्रोनिक पे-कार्ड प्रणाली के माध्यम से कार्यनिष्पादन संसूचकों के मूल्यांकन द्वारा उनके कार्य की पारदर्शी ढंग से मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

10) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के साथ आरओडी पर की गयी कुछ कार्रवाई , सचिव (आरडी) और सचिव (व्यय) के साथ हुई बैठक के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और कनाट प्लेस, नई दिल्ली में चरखा संग्रहालय की स्थापना जैसी मुख्य पहल को जोड़ने के लिए संभावनाओं की तलाश की भी जानकारी दी, जिसे पर्यटन विभाग से जोड़ा जाएगा।

11) आयोग ने खादी की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए कार्पोरेट घरानों जैसे कि मैसर्स रेमण्ड इंडिया लिमिटेड, मैसर्स अरविंद मिल्स एवं मेसर्स पीटर इंगलैंड ब्रांड के परिधानों को 'खादी मार्क' प्रदान करने के 'नए प्रयास' की भी सराहना की।

12) आयोग को सेवापुरी, वाराणसी में अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु समग्र परियोजनाओं के साथ १०००

चरखे और २५० करघे संवितिरित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के साथ संयोजन के लिए प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गयी।

13) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने "चरखा सहयोग कार्यक्रम" के लिए की गयी नयी शुरुआत की जानकारी भ आयोग को दी, जिसके अंतर्गत खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र में जरूरतमन्द कारीगरों के लिए चरखे एकत्र और संवितरित करने के लिए जनता से दान लिया जाएगा।

14) आयोग ने निर्देशित किया कि उपरोक्त सभी मुद्दों पर 'व्यापक कार्य योजना' आयोग की आगमी बैठक में विचारार्थ रखा जाए।

15) आयोग ने खादी संस्थाओं के निरीक्षण के दौरान कत्तीनों, बुनकरों एवं हितधारकों की फोटो एवं वीडियो ग्राफिक रिकॉर्डिंग साक्ष्य की आवश्यकता पर सदस्य (मध्य क्षेत्र) की टिप्पणी का अवलोकन करते हुए कि यदि खादी संस्थाओं का निरीक्षण फोटो एवं वीडियो ग्राफिक साक्ष्य के रूप में करना पड़े तो होने वाली व्यावहारिक समस्याओं / क्षेत्रीय वास्तविकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अंत में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित राज्य / मंडलीय निदेशकों द्वारा गठित टीम द्वारा शुरुआत में खादी संस्थाओं का निरीक्षण निम्न प्रकार शुरू करे:

(क) ऐसी संस्थाएं जिनके विरुद्ध सतर्कता / सीवीओ निदेशालय को विशेष शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सरकारी आपूर्ति करने वाली ए- श्रेणी की वृहद संस्थाएं और जो एमडीए /आईसेक आदि के रूप में सरकारी सहायता का भी लाभ उठा रही हैं।

(ग) खादी ग्रामोद्योग भवनों/खादी ग्रामोद्योग आयोग के विभागीय बिक्री भंडारों को थोक आपूर्ति करने वाली ए-श्रेणी की वृहद संस्थाएं, जो एमडीए/आईसेक आदि के रूप में सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं।

16) जहां महिलाएं, कत्तीन, बुनकर एवं हितधारक फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी करने हेतु अनिच्छुक हैं /आपत्ति जताते हैं, वहां "कारीगरों की पास बुक" अथवा आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि को संबंधित खादी संस्थाओं में उनके काम करने के सबूत के रूप में माना जाएगा।

17) वीडियोग्राफी में आधारभूत संरचना, उत्पादन और प्रोसेसिंग प्रक्रिया, कत्तीनों, बुनकरों एवं कारीगरों आदि के साथ साक्षात्कार शामिल होंगे ।

18) खादी संस्थाओं की निरीक्षण की उपरोक्त प्रणाली के परिणाम के आधार पर खादी संस्थाओं की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु एक अंतिम नीति बनाई जाएगी।

19) खादी संस्थाओं के निरीक्षण हेतु उपरोक्त प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए एवं निरीक्षण संबंधी उपरोक्त प्रक्रिया पर आगे विचार करने हेतु कार्य की समेकित रिपोर्ट सहित अवलोकन, सुझाव / टिप्पणी छह से आठ महीने की अवधि के भीतर आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

20) उपरोक्त अनुप्रयोग में सहयोग करने की आवश्यकता पर खादी संस्थाओं को जागरूक करने हेतु सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन चरणबद्ध तथा समयबद्ध तरीके से किया जाए।

22) इसके अतिरिक्त, आयोग ने "खादी प्रमाण पत्र के नवीकरण" पर अपने पहले के फैसले को दोहराया एवं निर्णय लिया कि भविष्य में सभी खादी प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि – यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था के पास पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, अथवा जहां संस्थाओं की ओर से निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन, कमियां, विसंगतियां या नियमों, विनियमों के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आता है तो उस स्थिति में प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

23) प्रक्रिया खर्च को कम करने एवं उपयोगकर्ता अनुकूल सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए खादी संस्थाओं की ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां..

www.mumbai.nbt.in

Short Take

'खादी प्रॉडक्ट्स की बिक्री 5,000 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी'

■ बिजनेस डेस्क । खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को उम्मीद है कि खादी प्रॉडक्ट्स की बढ़ती डिमांड के चलते फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में बिक्री 5,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगी। केवीआईसी के चेयरमैन विनय सक्सेना ने कहा कि खादी सामानों की बिक्री में अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है। हमें सरकार से कई ऑर्डर मिल रहे हैं। 2017-18 के आखिर तक 5000 करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद है।'

ખાદીનું વેચાણ રૂ.૫૦૦૦ કરોડથી વધુ થવાની ધારણા

નવી દિલ્હી,સોમવાર

લોકોમાં સ્વદેશી વસ્ત્રો માટેની વધેલી ચાહના અને તેમાં પણ ખરીદી તરફ વળેલી પસંદગી જોતા વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં ખાદીનું વેચાણ રૂ.૫૦૦૦ કરોડથી પણ વધુ થવાની ધારણા ખાદી એન્ડ વિલેજ ઈંડસ્ટ્રીઝ કમિશન (કેવીઆઈસી)ના પ્રવક્તાએ કરી હતી.

તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે ચાલુ વર્ષે ખાદીના વેચાણમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માં ખાદીનું વેચાણ ૨૯ ટકા વધી રૂ.૧૫૧૦ કરોડનું રહ્યું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ ખાદીની માંગમાં વધારો જોવા મળી રહ્યા હોઈ આવતા વર્ષે રૂ.૫૦૦૦ કરોડથી વધુનું વેચાણ લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી શકાશે.

વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માં ખાદી અને વિલેજ ઈન્ડસ્ટ્રીઝનું કુલ વેચાણ ૧૪ ટકા વધી રૂ.૩૭,૯૩૫ કરોડનું રહ્યું હતું. કેવીઆઈસી હેઠળ હાલ ખાનગી ગૃહ ઉદ્યોગોનો સાત લાખથી વધુનો સમુદાય જોવા મળે છે.

ભાસ્કર વિશેષ | ખાદી ગ્રામોદ્યોગ પંચે રાહત સામગ્રીમાં ખાદીનો સમાવેશ કરવા રજૂઆત કરી, યુએસ-યુકેમાં આઉટલેટ શરૂ કરાશે

UNના રાહત કેમ્પમાં ખાદીના ઉપયોગનો પ્રસ્તાવ

ધર્મિષ્ઠા પટેલ | અમદાવાદ

દેશને પોતાનામાં રંગ્યા બાદ સ્વદેશી ખાદી હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની ચમક બતાવશે. વિદેશમાં પણ ખાદીને વૈશ્વિક સ્તરે પ્રસારવા માટે 'ખાદી ગ્રામઉદ્યોગ આયોગ'એ ગત અઠવાડિયે યુનાઈટેડ નેશનને તેમના રાહત કેમ્પમાં ખાદીનાં ઉત્પાદનો ઉપયોગ કરવા માટે [illegible]તાવ મોકલ્યો છે. આ સાથે કમિશને ચાલુ [illegible] યુએસ અને યુકેમાં પોતાના આઉટલેટ [illegible] કવાયત હાથ ધરી છે.

[illegible] વૈશ્વિક સ્તરે પ્રમોટ કરવાનું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સપનું છે, જેને સાકાર કરવા માટે 'ખાદી ગ્રામઉદ્યોગ આયોગ'એ પહેલ કરી છે. તેઓ વિશ્વભરમાં કાર્યરત યુનાઈટેડ નેશનના રિહેબિલેશન કેમ્પમાં

અપાતી રાહતસામગ્રીમાં ખાદીનો સમાવેશ થાય તે માટે ગત મહિને યુનાઈટેડ નેશનને પ્રસ્તાવ મોકલ્યો છે.

'ખાદી અને વિલેજ ઈન્ડસ્ટ્રી કમિશન'ના ચેરમેન વી. કે. સક્સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, 'ખાદીનું 1 હજાર કરોડનું ટર્ન ઓવર 5 હજાર કરોડ સુધી પહોંચાડવાનું પીએમનું વિઝન છે. તેને અમે સાકાર કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છીએ. યુનાઈટેડ નેશનના ક્રાઈટ એરિયા પ્રમાણે ખાદી પર્યાવરણ ફ્રેન્ડલી અને સસ્ટેનેબલ છે. એટલે તેમના કેમ્પમાં ખાદીના ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ થાય એ માટે અમે તેમને પ્રસ્તાવ મોકલ્યો છે. ખાદીનું વેચાણ વધતા ભારતીય ઈકોનોમીમાં વધારો થશે.'

વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 'દેશ ભરમાં બનતી ખાદીને ડાઈ કરવા માટે પંજાબ અને અમદાવાદમાં મોકલવા આવે છે, પણ પંજાબની સરખામણીમાં અમદાવાદમાં થતી ડાઈની ગુણવત્તા સારી હોવાથી દેશભરની ખાદી અહીં ડાઈ થવા માટે આવે છે. જેથી અમદાવાદને તેનો સીધો ફાયદો થશે. સાથે સાથે 6થી 8 મહિનામાં અમે યુએસ અને યુકેમાં ખાદીના આઉટલેટ શરૂ કરવાના છીએ. જેથી ખાદીના કારીગરોને રોજગારી મળશે.'

લંડનમાં ખાદીનો ફેશન શો

ખાદીને વિદેશમાં પ્રમોટ કરવા માટે કેવીઆઈસી દ્વારા લંડનમાં નવેમ્બરના છેલ્લા અઠવાડીએ ખાદી ફેશનશો યોજવામાં આવશે. જે ફેશન ડિઝાઈનર રીતુ બેરીના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાશે. આ વર્ષે યુએસ એને યુકેમાં મેડિટેશન માટે 2226 ચરખા એક્સપોર્ટ થયા છે.

ખાદીની સારી એવી માંગ

આપણે ત્યાં પોલીવસ્ત્ર ખાદી, રો ખાદી, કોટન ખાદી, વુલન ખાદી, પી વન ખાદી, મુસલિન ખાદી અને સિલ્ક ખાદીની ક્વોલિટી ખૂબ સારી હોઈ તેની ડિમાન્ડ વધવાની શક્યતાઓ છે.